उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग 2-
संख्या- 1182/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी०सी०261-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(323)-2024

लखनऊः दिनांकः **09-10-2024**

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-842/11-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(09)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः-

संशोधन

(i) पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

i. स्तम्भ(3), (4) और (5) में मद (ivक) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
"(ivख) सीट शेयरिंग के आधार पर किसी हेलीकाप्टर में हवाई मार्ग से सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	परन्तु सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण के संबंध में पैरा 4 के खण्ड (iv) का संदर्भ लें/देखें]।"

ii. स्तम्भ (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक "(ivक)," के पश्चात कोष्ठक और अंक "(ivख)," बढ़ा दिया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
(एम० देवराज)
Date: 09-10-2024 21:55:49
प्रमुख सचिव